

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

जगन लक्ष्मण या कार्यवाही नाम इनिशियल के अगैरा

तारीख हुक्म

जगन लाल बनाम मल्ली बेगम

मु. सं. 57/14

दिनांक 29-11-2019

आज पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद पत्र को चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महता (जिला दौला)